

संख्या 1113 / XXX(2) / 2013-3(9) / 2012

प्रधान

सुभाष कुमार,  
मुख्य सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

1. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

देहरादून: दिनांक 10 अक्टूबर, 2013

कार्मिक अनुभाग-2

विषय:- मान्यता प्राप्त सेवा-संघों के पदाधिकारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश की अनुमत्या के सम्बन्ध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-336, XXX(2) / 2011, दिनांक 03 जून, 2011 के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त सेवासंघों/परिसंघों आदि के अध्यक्ष एवं सचिव को संघ के कार्य के निमित्त एक कलेण्डर वर्ष के अधिकतम 07 (सात) दिन का तथा सेवासंघ के कार्यकारिणी के सदस्यों को कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने हेतु अधिकतम 04(चार) दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने का प्राविद्यान किया गया है।

- 2- उपरोक्त सदर्भित शासनादेश दिनांक 03 जून, 2011 में आशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भविष्य में सरकारी कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों/परिसंघों के अध्यक्ष एवं सचिव को संघ के कार्य के निमित्त एक कलेण्डर वर्ष में अधिकतम 12 (बारह) दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा तथा सेवासंघ के कार्यकारिणी के सदस्यों को कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने हेतु पूर्व की भाँति अधिकतम 04(चार) दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।
- 3- कृपया भविष्य में सरकारी कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त संघों के पदाधिकारियों को उपरोक्तानुसार विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किये जाने तथा शासन के उक्त निर्णय से अपने अधीन मान्यता प्राप्त संघों को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)  
मुख्य सचिव।

संख्या 1113 (1) / XXX(2) / 2013-3(9) / 2012 तददिनांक।

प्रतिलिपि निमांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
- 3- सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।

आड्डा सं.

(रमेश चन्द्र लोहनी)  
दिनांक 20/10/14

प्रेषक

उत्पल कुमार सिंह

प्रमुख सचिव

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव  
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष  
उत्तराखण्ड।
3. आयुक्त  
कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल।
4. समस्त जिलाधिकारी  
उत्तराखण्ड।

### कार्मिक अनुभाग-2

०३ जन  
देहरादून: दिनांक: मार्च, 2011

विषय:- मान्यता प्राप्त सेवा संघों के पदाधिकारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश की अनुमन्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय विभागों में मान्यता प्राप्त सेवा संघों के पदाधिकारियों द्वारा कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या 1582/का.-4/7-ई.एम.-79, दिनांक 11.10.1990 के अनुसार संघ के कार्य हेतु वर्ष में 30 दिन के विशेष आकस्मिक अवकाश का उपभोग किया जा रहा है।

2- उक्त सन्दर्भित शासनादेश की प्रमाणिकता के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन से पुष्टि करायी गयी। विशेष सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या ई.-ई.एम./2009/का-4-11, दिनांक 4 फरवरी 2011 में यह अवगत कराया गया है कि उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 11.10.1990 निर्गत नहीं किया गया है तथा शासनादेश पूर्णरूपेण फर्जी है। सम्प्रति मान्यता प्राप्त संगठनों के पदाधिकारियों को संघ के कार्य हेतु विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 283/का-4-7-ई.एम.-1981 दिनांक 20.5.1983 एवं शासनादेश संख्या 1847/का-4-7-ई.एम.-81-83, दिनांक 4.10.1983 के प्राविधान प्रभावी है (छाया प्रति संलग्न)।

3- शासनादेश दिनांक 20 मई 1983 एवं 4 अक्टूबर 1983 के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों/परिसंघों आदि के अध्यक्ष एवं सचिव को संघ के कार्य के निमित्त एक कलेप्डर वर्ष में अधिकतम 07 (सात) दिन का तथा सेवा संघ के कार्यकारिणी के सदस्यों को

नियकारिणी की बैठक में भाग लेने हेतु अधिकतम 04 (चार) दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश खीकृत किया जा सकता है।

4- अतः भविष्य में सरकारी कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त संघों के पदाधिकारियों को उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 20 मई 1983 एवं 4 अक्टूबर 1983 के प्राविधानों के अनुसार विशेष आकस्मिक अवकाश खीकृत किये जाने तथा शासन के उक्त निर्णय से अपने अधीन मान्यता प्राप्त संघों को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,  
(उत्तल कुमार सिंह)  
प्रमुख सचिव।

संख्या /XXX(2)/2011 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. सचिवालय के समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. अधिशासी निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर।
3. मान्यता प्राप्त परिसंघों के सचिव
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह हयांकी)  
अपर सचिव।

त्रिवेदी

श्री नरेश चन्द्र समसेना,  
सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागों द्वारा  
प्रभुत्व कार्यालयाध्यक्ष  
उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग—४

लखनऊ, दिनांक 20 मई, 1981।

महोदय,

मूले यह कहने का निवेदा हुआ है कि शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी कर्मचारियों के मान्यताप्राप्त सेवा संघों/परिसंघों आदि के अध्यक्ष एवं सचिव को संघ के कार्य के तिमित एक क्लेशहर वर्ष में अधिकतम 7 (साल) दिन का तथा सेवा संघ की कार्यकारिणी के सदस्यों को जिनकी संख्या 5 से अधिक न होगी, कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने हेतु अधिकतम 4 (बार) दिन का विदेश आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। यह सुविधा निम्न प्रतिबन्धों के अधीन अनुमत्य होगी:—

(क) अध्यक्ष एवं सचिव अवकाश प्राप्ति—पत्र ने सेवा संघ का नाम, संघ मान्यता प्राप्त है या नहीं, उनके हारा घारित पर जा जाए, तथा संघ से संबंधित कार्य जिसके निमित्त अवकाश प्राप्त होता है आदि सूचना देते हुए उसे स्वीकृत करायेंगे।

(ख) कार्यकारिणी के केवल उन्होंने सदस्यों को प्राप्ति—पत्र देने पर यह अवकाश सुविधा अनुमत्य होगी जो कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने हेतु बैठक के स्थान से बाहर से आये। स्थानीय सदस्यों को यह सुविधा देय न होगी।

(ग) जिन सेवा संघों के पदाधिकारियों के वार्षिक चुनाव दो बर्ष से अधिक अवधि से नहीं हुए हैं उनके पदाधिकारियों को उक्त सुविधा अनुमत्य न होगी।

(घ) उपरोक्त विषेष आकस्मिक अवकाश को गणता राज्य कर्मचारियों को मिलने वाले सामान्य आकस्मिक अवकाश या अन्य किसी प्रकृति के अवकाश के साथ न की जायेगी।

2—आप से अनुरोध है कि शासन के उक्त निर्णय से अपने अधीन समस्त मान्यताप्राप्त संघों को जानकारी करावे तथा उपरोक्तानुसार प्रदर्शन द्वारा सुविधा का विदेश जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,  
नरेश चन्द्र समसेना,  
सचिव।

संख्या—283(1)/का—4-7-६० एम०-८१

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:

- 1—शासन के समस्त सचिव/विशेष सचिव।
- 2—सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 3—राज्य संयुक्त परामर्श संगठन के समस्त सचिव (नाम से)।

आज्ञा से,  
आर० एन० श्रीवास्तव,  
संयुक्त सचिव।

प्रधक,

श्री बी० के० चतुर्वेदी,  
सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रभुत्व कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग—१

लखनऊ : दिनांक ४ अक्टूबर, 1983

भृहोत्रय,

मैं आपका ध्यान कार्मिक अनुभाग—१ के शासनादेश संख्या-283/का-4-7-ई0 एम0/81, दिनांक 20 मई, 1983 की ओर आकृष्ट करने का निवेश हुआ है जिसमें सरकारी कर्मचारियों के माल्यता-प्राप्त, सेवा संघों/परिसंघों आदि को कार्यकारिणी के सदस्यों की, जिनकी संख्या ५ से अधिक न होगी, कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने हेतु अधिकतम (चार) ४ विनों का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किये जा सकने के आवेदन प्रसारित किये गये थे।

२—शासन ने विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या पर लगाया गया प्रतिबन्ध समाप्त कर दिया जाए ताकि कार्यकारिणी के जितने भी सदस्य चाहें, बैठक में आग ले सकें।

३—चार दिन की अवकाश सीमा तथा संदर्भित शासनादेश में वर्णित अन्य इत्येत्यावत् रहेंगी।

भृदीय,  
बी० के० चतुर्वेदी,  
सचिव।

संख्या-1847(1)/का-4-7-ई0-एम0-81—तददिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित :—

- १—शासन के समस्त सचिव/विशेष सचिव।
- २—सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- ३—राज्य संयुक्त परालीं संगठन के समस्त सदस्य (नाम दे)॥

आता हे,  
आर० एन० श्रीवास्तव,  
संयुक्त सचिव।